

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

पत्रांक-/एम0, पटना, दिनांक.....

प्रेषक,

सुशील कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

ई-मेल/फैक्स/web

आयुक्त,
पटना प्रमंडल, पटना।
आयुक्त,
सारण प्रमंडल, छपरा।
आयुक्त,
तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।
पुलिस उप महानिरीक्षक,
पटना, सारण (छपरा) एवं मुजफ्फरपुर।
जिला पदाधिकारी,
पटना, भोजपुर (आरा), सारण (छपरा) एवं वैशाली।
वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
पटना, भोजपुर (आरा), सारण (छपरा) एवं वैशाली।

विषय :- सोन एवं गंगा नदी के अवैध खनन के रोकथाम हेतु दिनांक-05.09.2018 को प्रस्तावित बैठक के स्थगन के संबंध में।


प्रसंग :- विभागीय पत्रांक-3526/एम0, दिनांक-31.08.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि सोन एवं गंगा नदी के अवैध खनन के रोकथाम हेतु प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक-05.09.2018 को 12:00 बजे मध्याह्न में प्रस्तावित बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है।

एतद् संबंधी आगामी बैठक की सूचना बाद में दी जाएगी।


विश्वासभाजन


(सुशील कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक.....3559...../एम0, पटना, दिनांक.....4/9/18.....

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।